A 1991
13

क्रम-संख्या—151

रजि० नं० एल. डब्लू/एन. पी० 561

लाइसेन्स नं० डब्लू पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश.

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 फरवरी, 1991

फाल्गुन 8, 1912 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 444/सत्रह-वि-1—1(क) 36-1990

लखनऊ, 27 फरवरी, 1991

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1991 पर दिनांक 26 फरवरी, 1991 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1991 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 1991

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1991)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का एक्ट, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायगा।

(2) यह 13 अगस्त, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्तीय एक्ट संख्या 28 सन् 1947 की धारा 6 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का एक्ट, 1947 की धारा 6 में, उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(4) उपधारा (3) के अधीन श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के पंचनिर्णय के प्रकाशन के पूर्व, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि—

(क) निर्णायक प्राधिकारी ने किसी पक्ष को बिना समुचित कारण के साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिया है, या

(ख) कोई पक्ष किसी अन्य पर्याप्त कारण से साक्ष्य नहीं दे सका था, या

(ग) कोई ऐसा नया और महत्वपूर्ण सारवान तथ्य या साक्ष्य सूचना में आया है जो सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् भी, उस समय जब पंचनिर्णय किया गया था, पक्ष की जानकारी में न था या उसके द्वारा पेश न किया जा सका था, या

(घ) पंचनिर्णय से औद्योगिक शान्ति में विघ्न पड़ने की सम्भावना है, या

(ङ) पंचनिर्णय से राष्ट्रीय या राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, या

(च) पंचनिर्णय से सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों में व्यतिक्रम होने की सम्भावना है, या

(छ) पंचनिर्णय में न्याय निर्णयन के लिए निर्दिष्ट किन्हीं मामलों का अवधारण नहीं हुआ है, या जहां वह ऐसे किसी मामले का अवधारण करता है जो न्याय निर्णयन के लिए निर्दिष्ट न किया गया हो और ऐसे मामले को निर्दिष्ट किये गये मामलों के अवधारण पर प्रभाव डाले बिना पृथक नहीं किया जा सकता है, या

(ज) पंचनिर्णय इतना अनिश्चित है कि उसे लागू नहीं किया जा सकता है, या

(झ) पंचनिर्णय की अवैधता उसके देखने से ही प्रकट होती है, तो वह पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, पंचनिर्णय को निर्णायक प्राधिकारी के पास पुनर्विचारार्थ प्रेषित कर सकती है और वह प्राधिकारी पुनर्विचार के पश्चात् अपना पंचनिर्णय राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस पंचनिर्णय को उपधारा (3) में दी गई रीति से प्रकाशित करेगी।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 1990

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
संयुक्त सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी।

No. 444(2)/XVII-V-1—1(KA)-36-1990

Dated Lucknow, February 27, 1991

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Jhagra (Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1991) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on February 26, 1991.

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) ACT, 1991

(U. P. Act no. 3 of 1991)

[*As passed by the U. P. Legislature*]

AN

ACT

further to amend the United Provinces Industrial Disputes Act, 1947.

It is hereby enacted in the Forty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 1991.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 13, 1990.

Amendment of section 6 of U. P Act no. XXVIII of 1947

2. In section 6 of the United Provinces Industrial Disputes Act, 1947, *for* sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted,* namely—

"(4) Before publication of an award of a Labour Court or Tribunal under sub-section (3), if the State Government is of the opinion that,—

(*a*) the adjudicating authority has unreasonably refused permission to any party to adduce evidence ; or

(*b*) any party was prevented by any other sufficient cause from adducing evidence : or

(*c*) new and important material fact or evidence has come to notice, which after the exercise of due diligence, was not within the knowledge of, or could not be produced by, the party at the time when the award was made ; or

(*d*) the award is likely to disturb the industrial pease; or

(*e*) the award is likely to affect prejudicially the national or State economy ; or

(*f*) the award is likely to interfere with the principles of social justice; or

(*g*) the award has left undetermined any of the matters referred for adjudication, or where it determines any matter not referred for adjudication and such matter cannot be separated without affecting the determination of the matters referred; or

(*h*) the award is so indefinite as to be incapable of being enforced; or

(*i*) illegality of the award is apparent upon the face of it,

it may, after giving the parties reasonable opportunity of being heard, for reasons to be recorded, remit the award for reconsideration of the adjudicating authority, and that authority shall, after reconsideration, submit its award to the State Government, and the State Government shall publish the award in the manner provided in sub-section (3)."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Ordinance, 1990, is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 22 1990

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

R. D. MATHUR,

Joint Secretary and Joint Legal Remembrancer.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 338 सा० (विधा०)---(3379)--1991-850 (मैक०)।